



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3694]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2018/भाद्र 23, 1940

No. 3694]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

का.आ. 4858(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, लखनऊ' जोकि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 (1999 का यूपी. अधिनियम सं. 24) के अंतर्गत गठित आयोग है, को उसे होने वाली विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) लाइसेंस शुल्क एवं जुर्माने; और
- (ग) सरकारी अनुदानों, लाइसेंस शुल्क एवं जुर्माने पर ब्याज;

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी कि 'उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, लखनऊ', :-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 44 /2018/फा. सं. 300196/2/2017-आईटीए-1]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन:- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।